संख्या – 2316 /1–10–2010

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010–11 में पेयजल आपूर्ति हेतु परिवहन पर हुए व्यय के सापेक्ष धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या:–1654/आपदा पेयजल आपूर्ति–2010–11 दिनांक 01–07–2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010–11 में जनपद इलाहाबाद की बारा, मेजा एवं कोरांव तहसील के 16 गॉवों में 16 टैंकरों से आपूर्तित पेयजल के परिवहन में हुए व्यय के भुगतान हेतु रू0 6,00,000/– (रूपये छः लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि बारा, मेजा एवं कोरांव तहसील के 16 गॉवों में 16 टैंकरों से आपूर्तित पेयजल के परिवहन में हुए व्यय के भुगतान पर नियमानुसार की जायेगी।

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी, इलाहाबाद यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर न को सूचित किया जाय।

के0के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

ग –2316 / 1–10–2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / समीक्षा अधिकारी, लेखा राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11।
7. श्री संजय अग्रवाल, पीएस, एनआईसी को राहत वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।